न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 68/2019

1–सोहन कवंर पत्नी श्री जयसिंह नाथावत जाति राजपुत निवासी किशोर पुरा हाल निवासी नावां तहसील नांवा जिला नागौर, राज0।

.....अपीलान्ट

बनाम

1.–पटवारी हल्का नावां, तहसील नावां जिला नागौर

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री भैरोसिंह शेखावत, श्री नागपालसिंह, श्री नरेन्द्रसिंह, श्री शेरसिंह, अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से ।

अपील विरूद्ध निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा तहसीलदार बअनुवान सरकार जरिये पटवारी हल्का, नांवा बनाम सोहन कवंर , मु0सं0 36/19 निर्णय दिनांक : 05.07.2019 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट का निरस्त करने बाबत।

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :08.02.2021

{1} –मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नांवा द्वारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 36/2019 सरकार बनाम सोहन कवंर में निर्णय दिनांक 05.07.2019के तहत मौजा ग्राम सांभर झील नावां के खसरा नं0 01 रकबा 01.52 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील भूमि पर नमक क्यार बनाकर अतिकमण करने व पूर्व में भी सम्वत 2074 में अतिकमण करने पर अप्रार्थी के खिलाफ भौतिक रूप से वेदखली व शास्ति तथा पश्चातवर्ती अतिकमण करने का दोषी होने से अप्रार्थीया के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

91 (3) के तहत अप्रार्थीया को तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया तथा भौतिक रूप से बेदखली व लगान दर का 50 गुणा से 304/– रू0 अक्षरे तीन सौ चार रूपये की शास्ती आरोपित की गयी। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर दिनांक 15.07.2019 को अप्रार्थीयां द्वारा इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील दिनांक 15.07.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधिनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया। अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में विक्रय पत्र की फोटों प्रति, अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय 05.07.2019 की फोटोप्रति, अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 36/2019 सरकार बनाम सोहन कवंर के फर्द अहकाम दिनांक 17.06.2019 से 31.07.2019 की फोटोप्रति,पटवारी हल्का नावां की रिपोर्ट की फोटोप्रति, फर्द बेदखली की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, अपीलार्थी के नामान्तरण कब्जा सुदा भूमि की प्रमाणित नकल व जमाबन्दी व नशा की प्रति पेश की गयी।

{2} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{2}(1) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश अधीन अपील कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(2) –यह है कि अपीलार्थीया के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2019 को जारी नोटिस दिनांक 02.07.2019 की पेशी हेतु जारी किया गया । उक्त नोटिस अपीलार्थी को कभी नहीं मिला एवं उक्त नोटिस पर अपीलार्थी का स्थायी पता ग्राम किशोरपुरा तहसील सांगानेर है। जबकी निर्णय में तामील खाड़े पर बने खुले मकान पर चस्पा बताया है दोनों बातो में विरोधाभास होने से निर्णय अपास्त होने योग्य है। तहसील नांवा पर जारी किया गया नोटिस की तामिल आबाद मकान पर चस्पानगी में बताया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

{2}(3) – यह है क उक्त नोटिस पर दो मोतबरान कालुराम पुत्र बालुराम जाति कुमावत निवासी जाब्दीनगर होना बताया गया है, जबकि अपीलार्थी के गांव में करीब 20–25 किमी दूर के व्यक्ति है। उक्त नोटिस चस्पानगी भी कानून के विरूद्ध जाकर करवाये है। जिससे अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(4) – यह है कि अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण की जानकारी कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तरीके से नहीं दी गई एवंम न ही अपीलार्थी को उक्त प्रकरण की लेस मात्र जानकारी ही थी। अपीलार्थीया को उक्त प्रकरण की जानकारी दैनिक अखबार द्वारा दिनांक 06.07.2019 को ही प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने कानून को ताक में रखकर केवल राजनैतिक द्वैषता वशं निर्णय किया है, जो काबीले निरस्त है।

{2}(5) – यह है कि अपिलार्थीया आज दिन तक अपने खरीदशुद्धा भूमि खसरा नं0 143 व 144 पर ही काबिज है, जो पूर्व खातेदारों अकनिता शर्मा व अनिल माटालिया जातिगण ब्राहमण समस्त निवासी सुजानगढ से जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से दिनांक 29.11.2012 को खरीद की एवं उक्त भूमि अपीलार्थीया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

{2}(6) – यह है कि अपीलार्थीया को रिकोर्ड में दर्ज भूमि के अलावा उससे उधिक या किसी भी सरकारी भूमि पर क इंच भूमि पर भी अतिक्रमण नही कर रखा है। मौके पर अपीलार्थीया स्वयं कर भूमि पर ही काबिज है। परन्तु अपीलार्थीया को अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जानकारी व बिना किसी विधिक कार्यवाही किये ही एक पक्षीय निर्णय कर दिया जो विधि विरूद्ध है जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(7) – यह है कि अपीलार्थीगण को उक्त प्ररकण के अलावा सम्वत् 2074 या कभी अतिक्रमण बाबत न तो नोटिस ही दिया, न ही अपीलार्थी ने कसी सरकारी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

भूमि पर ही अतिक्रमण किया था या है एवं पश्चातवर्ती निर्णय की पत्रावली भी उक्त पत्रावली के साथ संलग्न नहीं है। इसलिए अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता है एवं उक्त प्रकरण संबंधि कोई भी दस्तावेज उक्त पत्रावली में भी नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार की जाने योग्य है।

{2}(8) – यह है कि उक्त प्रकरण में पत्रावली में कभी भी वहस हेतु नियत नही की गयी एवं ऑडरशीट में वहस अन्तिम कभी भी नहीं लिखा हुआ है।जिससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक द्वेषता वंश उक्त निर्णय किया जो काबिले निरस्त है।

{2}(9) –यह है कि परिवादी हल्का पटवारी ने अपने परिवाद के समर्थन में बयान अवश्य लिखे है परन्तु पटवारी हल्का ने किस धारा के अन्तर्गत बयान किये है नही लिखा ताकी उक्त बयान पर पीठासीन अधिकारी क हस्ताक्षर भी नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा कोई दस्तावेज या पश्चातवर्ती आदेश बाबत कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित करवाये कोई भी दस्तावेज कानूनन महत्व नहीं है। जिससे भी यह अपील स्वीकार होने योग्य है।

{2}(10) – यह है कि अपीलार्थीया वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में है एवं घरेलु महिला भी है इसलिए भी उक्त निर्णय करने से पूर्व अपीलार्थीया को कानूनन अपना पक्ष रखने का सम्पूर्ण अवसर दिया जाकर ही निर्णय किया जाना न्यायोचित व विधसंबत प्रतित होता परन्तु अधीन्स्थ न्यायालय ने निा सुनवाई का मौका देकर विधि के विरूद्ध व राजनैतिक द्वैषता से निर्णय दिया जससे भी अपील स्वीकार होने योग्य है।

{3} – वहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का नांवा व भू0अ0निरीक्षक नावां की रिपोर्ट, अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम साभंर झील, नावां के खसरा नम्बर 1 रकबा 01.52 हैक्टर किस्म गै0मु0 झील पर नमक क्यार, बनाकर अतिक्रमण किया है, तथा पूर्व मे भी सम्वत 2074 से अतिक्रमण करना पत्रावली संख्या 24/18 रिक्रार्ड पर उपलब्ध होने से साबित है कि अप्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस बाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner

सूचना के अनुपस्थित होना अभिलेख से साबित होता है। नाटिस चस्पादंगी के दो मोतबरान के हस्ताक्षर है। उक्त गै0मु0 झील सरकारी भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी ने 01.08.19 की पटवारी हल्का नावां की मौका बेदखली फर्द रिपोर्ट भी पेश की है, जिसके अनुसार मौके पर से अतिक्रमित रकबा से अतिक्रमी ने स्वयं कब्जा हटा लिया जाना अंकित किया है, जिससे हस्तगत सिवायचक भूमि को उसके द्वारा कब्जे राज भी ले लिया गया है। जिसमें 3 माह का सिविल कारावास भी दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट ने स्वयं राजकीय भूमि से स्वतः कब्जा हटा लिया जाने से सहानुभूतिपर्वक 3 माह के सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित होने से अधिनरथ न्यायालय का फैसला बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाना उचित है।

:::: <u>आ दे श</u> ::::

अपीलान्ट की अपील पर सहानुभुति पूर्वक विचार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.07.2019 में दी गयी 3 माह की सिविल कारावास की सजा निरस्त करते हुवे अधिनस्थ न्यायालय का बेदखली एवं जुर्माना का आदेश यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

Scanned with CamScanner